न्यायालय सहायक कलक्टर, भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारीः अरूण कुमार जैन, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–35/2023 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. श्री भैरू पुत्र श्री डालू लाल माली जाति माली आयु 53 वर्ष निवासी माली मोहल्ला, वार्ड नम्बर 03 ग्राम पुर जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री किशन लाल पुत्र मूला ऊर्फ मूलचन्द जी जाति माली आयु 49 वर्ष निवासी माली मोहल्ला, वार्ड नम्बर 03 ग्राम पुर जिला भीलवाड़ा
2. श्रीमति चान्दी ऊर्फ चन्दा पुत्री मूला ऊर्फ मूलचन्द जी जाति माली पत्नि रामचन्द्र जी माली आयु बालिग निवासी भवानीपुरा गांव हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा
3. श्रीमति श्यानु देवी धर्म पत्नि मूलचन्द जी माली आयु बालिग निवासी माली मोहल्ला, वार्ड नम्बर 03 ग्राम पुर जिला भीलवाडा
4. तहसीलदार, भीलवाडा

– अप्रार्थीगण

उपस्थित–

1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र दाधीच
2. अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री बालूलाल उपाध्याय
2. अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश जैन

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम 1955

–: निर्णय :–

दिनांकः– 24/3/2025

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश चन्द्र दाधीच द्वारा दिनांक 22.12.2023 को अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रजिस्टर कम संख्या 35/2023 पर दर्ज किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि गाँव पुर पटवार हल्का पुर प्रथम तहसील व जिला भीलवाडा में आराजी संख्या 2108, 2109 कुल किता 02 रकबा 0.1897 हैक्टेयर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण की सामलाती होकर अविभाजित चली आ रही है एवं प्रार्थी का वादग्रस्त आराजियात में 1/2 हिस्सा है और इसी प्रकार अप्रार्थी कम 01 का भी 1/8 हिस्सा तथा अप्रार्थी कम 02 का भी 1/8 हिस्सा एंव अप्रार्थी कम 03 का भी 1/4 हिस्सा है।

अप्रार्थी कम 01 से 03 जो कि सह खातेदारान है और प्रार्थी वर्तमान मे उक्त वर्णित आराजियात मे से जिस जगह काश्त कर रहा है वहा काश्त करने में दखल करते है और कहने पर भी नही मानते तथा राजस्व रेकार्ड में खाता शामलाती होने से प्रार्थी अपने हक हिस्से पर लॉन ऋण सुविधा प्राप्त करने में समस्या रहती है तथा मेरपाली का विवाद आये दिन उत्पन्न होता है जिस कारण शामलाती हक हिस्से के उपयोग व उपभोग के सम्बन्ध में आए दिन विवाद होता है।

अप्रार्थी सं 01 से 03 प्रार्थी के कहने पर भी उक्त वर्णित शामलाती आराजीयात को विभाजन कराने को तैयार नही है जबकि आये दिन शामलाती आराजीयात के सम्बन्ध मे पक्षकारगण के मध्य विवाद रहता है जिस कारण प्रार्थी ने अन्तिम बार दिनांक 01.11.2023 को अप्रार्थीगण से विभाजन हेतु कहा परन्तु अप्रार्थीगण इस हेतु तैयार नहीं है और आए दिन प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से के उपयोग उपभोग में बाधा कारित करते है तथा आने जाने में रूकावट कारित करते है जिसका अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है तथा आराजियात का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन करने को तैयार नहीं है।

24/3/2025

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्राईमा फेसी केस होकर सुविधा संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है एवं विपक्षी कम 1 से 3 उक्त वर्णित आराजियात में से बिना बटवाड़ा कराए आराजियात विक्रय करने को तत्पर है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है मोके पर आराजियात बिना बंटवाड़े की है लेकिन विपक्षी उक्त वर्णित आराजियात को खुर्द–बुर्द करने को आमदा है और असामाजिक तत्वो की मदद से प्रार्थी को हैरान व परेशान करने हेतु तत्पर है और दुरूपयोग कर आराजियात को क्षतिग्रस्त करने एवं प्रार्थी न्याय प्राप्त नहीं कर सके इसे विफल करने के लिए उपयोग उपभोग में बाधा कारित करने को तत्पर है और इसकी धमकी दे रहा है और यदि विपक्षी संख्या 1 से 3 के द्वारा आराजियात जैर बहस का बिना बंटवाड़ा किए अपनी मनमर्जी अनुसार अन्तरण कर दिए जाने की स्थिति में प्रार्थी को असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार संभव नहीं होगा।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से मूलवाद में अधिवक्ता श्री बालु लाल उपाध्याय का वकालत नामा दिनांक 24.01.2024 को पेश हुआ। दिनांक 12.11.2024 को अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि वादग्रस्त भूमि शामलाती खातेदारी भूमि होना स्वीकार है, लेकिन मौके पर वादग्रस्त भूमि का अविभाजित होना अस्वीकार है। अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 के पिता मूला उर्फ मूलचंद माली ने आज से करीब 50 वर्ष पूर्व अपने स्व. भाई डालू जी से आपसी सहमति से मौके पर विभाजन कर लिया था और तभी से अपने अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा आज से करीब 12 वर्ष से भी अधिक समय से मूला जी की मृत्यु उपंरात अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 और भैरू व मोहनी मूला जी के हिस्से पर 1/2 हिस्से अनुसार काबिज काश्त है।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रार्थी को काश्त करने में कभी दखल अंदाजी नहीं की है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण मौके अनुसार वर्षों से काबिज काश्त होकर चले आ रहे है।

प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आराजियात का पूर्व में मौखिक रूप से बंटवाड़ा होकर मौके पर काबिज है तथा मौके के कब्जानुसार अप्रार्थी संख्या 01 व 02 बंटवाडे के लिए तैयार है। लेकिन प्रार्थी ने इस सबंध में कभी भी रिर्कोडेड बंटवाडे सूचित नही किया है तथा गलत वाद कारण बताकर उक्त प्रार्थनापत्र पेश किया है।

अप्रार्थी संख्या 01 व 02 मौके अनुसार वर्षों से काबिज होकर काश्त कर रहे है और उसी अनुसार रेर्कोडेड बंटवाडे हेतु सहमत है तथा तदनुसार श्रीमान तहसीलदार से जरिये पटवारी से मौका रिपोर्ट मंगवायी जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

विवादग्रस्त आराजियात राजस्व ग्राम पुर पटवार हल्का पुर प्रथम तहसील व जिला भीलवाड़ा आराजी नम्बर 2108 क्षेत्रफल 0.0885 हैक्टयर व आराजी नम्बर 2109 रकबा 0.1012 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 से 03 के नाम से दर्ज है। उक्त आराजियात प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को विरासत में प्राप्त हुई है तथा प्रार्थी के स्व. पिता डालू एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के स्व. पिता मूला ने अपने जीवनकाल में आज से करीब 50 वर्ष पूर्व मौके अनुसार उक्त आराजियात का बंटवाड़ा कर लिया है तथा अपने अपने हिस्से काफी पैसे लगा कर उक्त जमीन को उपजाउ बनाकर अपने अपने हिस्से में पत्थर की चुनाई की दीवार बना रखी है तथा अपने अपने हक हिस्से का स्व. डालू जी व मूला जी उपयोग उपभोग करते आ रहे थे और उसी हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आज भी उपयोग उपभोग कर मौके पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा करीब 04 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के भाई भैरू पिता मूला व बहन मोहनी पुत्री मूला माली ने अपना हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा श्रीमति श्यानु देवी पत्नी मूलचंद जी माली को विक्रय कर दी है तथा आराजी संख्या 2109 में भी विगत 10 वर्ष पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 व 02 तथा स्व. मूला जी के पुत्र पुत्री भैरू मोहनी ने मौके अनुसार बंटवाडा कर लिया था जिसमें अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे में आराजी संख्या 2109 का आधा हिस्सा है जिसके पडौस निम्नानुसार है:–

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

पूर्व भैरू पिता डालू माली की आराजी संख्या 2108
पश्चिम सिचाई विभाग की नहर
उत्तर विजय सिंह नैनावटी की आराजी 2105
दक्षिण श्यानू देवी पति मूलंचद माली की आराजी 2109 का 1/2 हिस्सा है इस प्रकार प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 01 में उल्लेखित आराजियात का मौके अनुसार बंटवाड़ा होकर अपने अपने हिस्से पर कब्जा काश्त है।

मौके अनुसार स्व. डालू जी एवं स्व0 मूला जी ने आज से 50 वर्ष पूर्व मौखिक रूप से बंटवाड़ा कर मौके पर काबिज होकर आराजी संख्या 2108 पर स्व. डालू जी काबिज थे तथा उनकी मृत्यु उपंरात प्रार्थी भैरू काबिज है व आराजी संख्या 2109 पर स्व. मूला जी काबिज थे तथा उनकी मृत्यु उपंरात अप्रार्थीगण काबिज है। इसी अनुसार रेकाडेर्ड बंटवाड़ा किया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है।

दिनांक 18.10.2024 को अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता राकेश जैन द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। दिनांक 26.11.2024 को अप्रार्थी संख्या–3 श्रीमती श्यानु देवी की ओर से अधिवक्ता ने जवाब पेश करते हुए निवेदन किया है कि ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा की वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 1/2 हक–हिस्सा, अप्रार्थी संख्या–1 व 2 प्रत्येक का 1/8–1/8 हक–हिस्सा एवं अप्रार्थी संख्या–3 का 1/4 हक–हिस्सा राजस्व रेकॉर्ड जमाबंदी में अंकित होना स्वीकार है किन्तु उक्त आराजियात सामलाती नहीं है एवं न ही बिना बंटवारे के चली आ रही है बल्कि उक्त आराजियात का प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या–1 व 2 के पूर्वाधिकारियों के समय ही भौतिक विभाजन हो रखा है जिस अनुसार ही प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–1 से 3 मौके पर अलग–अलग काबिज हो उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं।

प्रार्थी के पूर्वाधिकारी के समय हुए विभाजन अनुसार जिस स्थान पर प्रार्थी के पूर्वाधिकारी काबिज थे उसी पर प्रार्थी काबिज है जिसमें जवाबदाता अप्रार्थी द्वारा कभी कोई दखल नहीं किया गया है न ही कभी कोई विवाद रहा है। प्रार्थी के मन में बदनियति आ जाने से जानबूझकर मिथ्या तथ्य अंकित कर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो निरस्त होने योग्य है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या–1 से 3 वादग्रस्त आराजियात पर भौतिक विभाजन अनुसार अपने–अपने हक–हिस्से पर काबिज हो उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। जवाबदाता अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा मौके पर कोई विवाद कभी नहीं किया गया है।

ग्राम पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2108 क्षेत्रफल 0.0885 हैक्टयर व आराजी नम्बर 2109 रकबा 0.1012 हैक्टयर कुल किता 02 कुल रकबा 0.1897 हैक्टयर भूमि का प्रार्थी के पूर्वाधिकारी डालु जी एवं उनके भाई मूला जी के मध्य भौतिक विभाजन हो गया था एवं इस भौतिक विभाजन अनुसार ही उनके उतरजीवी वादग्रस्त भूमि पर काबिज हुए, जिस अनुसार प्रार्थी भैरू आराजी नम्बर 2108 पर जो आराजी नम्बर 2107 गै0 मु0 चाह के सटमा है, पर वादग्रस्त भूमि में निहित हक हिस्से अनुसार काबिज है, इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 वादग्रस्त भूमि में आराजी नम्बर 2109 में नजरी नक्शे में दर्शितानुसार भाग पर जो आराजी संख्या 2105 के सटमा है, पर काबिज है तथा अप्रार्थी संख्या 3 आराजी नम्बर 2109 में नजरी नक्शे में दर्शितानुसार भाग पर जो आराजी नम्बर 2110 के सटमा है, पर अपने 1/4 हक हिस्से अनुसार मौके पर काबिज हो उपयोग–उपभोग करती चली आ रही है। नजरी नक्शा प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुये निवेदन किया कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी का खातेदारी भूमि में आने–जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा मकान बनाकर गेट लगाया जाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु उपलब्ध रास्ता बंद नहीं करने हेतु पाबंद फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के जवाब के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी एवं विपक्षीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि का अपने पूर्वाधिकारियों के समय से ही भौतिक रूप से विभाजन करवा रखा है तथा मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण पृथक–पृथक हिस्से पर काबिज है। इस हेतु विपक्षी संख्या 3 द्वारा मूल वाद में जवाब के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया गया है। उक्त नजरी नक्शे के अनुसार मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षीगण किस प्रकार काबिज है उसका स्पष्ट अंकन किया गया है। प्रार्थी आराजी नम्बर 2108 पर काबिज है, जिससे लगता हुआ

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

खसरा नम्बर 2107 गैर मुमकीन चाह है जो विपक्षीगण एवं प्रार्थी की सहखातेदार का है। आराजी नम्बर 2107 से लगती हुई आराजी नम्बर 2118 गैर मुमकीन नहर है जिस पर नहर की छूट के साथ आने–जाने का रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थी संख्या 3 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि सहखातेदारों के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहराव करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पूर्वाधिकारियों एवं विपक्षी संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारियों के मध्य वादग्रस्त भूमि का लगभग 50 वर्ष पूर्व बंटवारा हो चुका था। समस्त पक्षकारान पूर्व के बंटवारे अनुसार मौके पर काबिज है। लगभग 4 वर्ष पूर्व विपक्षी संख्या 1 व 2 के भाई भैरू तथा मूला व मोहनी पुत्री मूला द्वारा अपना हिस्सा विपक्षी संख्या 3 को विक्रय किया गया था और विक्रय के उपरान्त विपक्षी संख्या 3 को पूर्व के कब्जे अनुसार आराजी संख्या 2109 में अपने कब्जे को सुपुर्द किया गया था। आराजी नम्बर 2109 के पश्चिम दिशा में स्थित आराजी नम्बर 2160 राजस्व रिकॉर्ड में गैर मुमकीन नहर है। जिस पर मौके पर सड़क निर्मित होने से प्रार्थी द्वारा मौके के कब्जे अनुसार बंटवारा नहीं चाह कर स्वयं को रास्ते की भूमि पर आने हेतु वादपत्र पेश किया गया है। चुंकि बंटवारा मौंके पर लगभग 50 वर्ष पूर्व हो चुका है अतः मौके के कब्जे अनुसार बंटवारा किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा रिविटल बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा कब हुआ इसका कोई अंकन विपक्षीगण द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित नहीं किया गया है। विभाजन की तिथि, संवत् एवं मिति का अंकन जवाब में नहीं है। विभाजन लिखित एवं मौखिक रूप से हुआ है। इसका प्रार्थना पत्र के जवाब में कोई अंकन नहीं है। वादग्रस्त भूमि बिना बंटवारे के चली आ रही है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा बहस में आराजी नम्बर 2107 को प्रार्थी का सहखातेदार गैर मुमकीन कुआ होने का कथन किया गया है। इस बात की ताहिद हेतु कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। साथ ही आराजी नम्बर 2107 गैर मुमकीन चाह में मेरा कोई हिस्सा नहीं है अतः आराजी नम्बर 2118 गैर मुमकीन नहर की भूमि से प्रार्थी का आना–जाना संभव नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1, 2 व 3 को प्रार्थी की सहखातेदार भूमि में आने–जाने में रूकावट नहीं डालने हेतु पाबंद्ध फरमाया जावे एवं किसी प्रकार का नवीन निर्माण नहीं करने हेतु पाबंद्ध फरमाया जावे।

पत्रावली में उभयपक्षकारान अधिवक्तागण की बहस का मनन एवं चिंतन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं संबंधित विधि का अनुशीलन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि में सहखातेदार अपने हक–हिस्से अनुसार काबिज–काश्त है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा लगभग 3 वर्ष पूर्व वादग्रस्त भूमि में से 1/4 हिस्से का जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया गया है। अर्थात् विपक्षी संख्या 3 को वादग्रस्त भूमि का बेचान प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पूर्ववर्ती सहखातेदार द्वारा किया गया है। मौके पर निर्माण होने के संबंध में प्रस्तुत फोटोग्राफ का प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि सहखातेदारों द्वारा अपने हिस्से का मौके पर विभाजन किया हुआ है एवं अपने हिस्से अनुसार मौके पर काबिज है।

–:आदेशः–

उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को पाबंद किया जाता है कि वे मूलवाद के निस्तारण तक मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

24/3/24

(अरूण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा